

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5-6-8/अवकाश स्वीकृति/2019

दिनांक : 09.07.2019

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति

विषय :- अवकाश प्रकरण के सम्बन्ध में।

यह ध्यान में आया कि प्रधानाध्यापक (मावि) एवं प्रधानाचार्य (उमावि) के अवकाश प्रकरण जो स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं, उन्हें सक्षम स्तर से बिना नियमों के परिपेक्ष में परीक्षण किये अग्रेषित कर दिया जाता है।

नियमों के परिपेक्ष में अवकाश प्रकरण पूर्ण न होने के कारण आक्षेप पूर्ति हेतु पुनः आपके कार्यालय को लौटाया जाता है, जिसके कारण प्रकरण निर्णित होने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अवकाश प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करते समय पीछे अंकित चैक लिस्ट अनुसार पूर्ण जॉच कर ही निदेशालय को अग्रेषित करें।

सलमान-एव

www.rajteachers.com

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

:: अवकाश प्रकरण भिजवाने का प्रारूप (चैक लिस्ट) ::

बीमारी/निजी कारण व अन्य कारण से लिए गए अवकाश

1. जीए-45 अभिशंषा सहित :-
2. अवकाश पर प्रस्थान करते समय दिया गया प्रार्थपत्र :-
3. अवकाश बढ़ोतरी के प्रार्थना पत्र :-
4. चिकित्स प्रमाण पत्र :-
5. अरोग्य प्रमाण पत्र :-
6. मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट :-
7. कार्मिक के अवकाश पर प्रस्थान करते समय सेवा पुस्तिका में बकाया अवकाशों का विवरण उपार्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश
8. नियुक्ति तिथि :-
9. स्थाईकरण तिथि :-

चाहे गये अवकाशों का प्रकार

1. उपार्जित अवकाश से तक कुल दिन
(रा०से०नि० 91)
2. अर्द्धवेतन अवकाश से तक कुल दिन
(रा०से०नि० 93 ः)
3. परिवर्तित अवकाश से तक कुल दिन
(रा०से०नि० 99 ः)
4. असारण अवकाश से तक कुल दिन
(रा०से०नि० 96)

सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
मय मोहर

हस्ताक्षर नियन्त्रण अधिकारी
मय मोहर